



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092022-238650
CG-DL-E-07092022-238650

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4001]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2022/भाद्र 16, 1944

No. 4001]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2022/BHADRA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2022

का.आ. 4182(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट NH75 के किमी 97.515 से 147.540 किमी तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -75 (सेक्शन-2) डिजाईन चेनेज कि.मी. 97+515 से कि.मी. 147+540 तक की बाबत भूमि अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	कंपोटेंट अथॉरिटी फोर लैंड एक्विजिशन	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	झारखंड	लातेहार	मनिका	1 जमुना

	लातेहार ()	NH75 के कि.मी. 97.515 से 130.6 तक					2	सिंजो
							3	मनिका
							4	ऐजामांड
							5	नामुदाग
							6	दुन्दु
							7	औंराढांड
							8	लाली
							9	नदबेलवा
						लातेहार	1	होटवाग
							2	डुडंगिखुर्द
							3	डुडंगिकलां
							4	पाण्डेपुर
							5	इचाक
							6	पतकी
							7	मतनाग
							8	कढिमा
							9	नवाडीह
							10	कुरा
							11	उदयपुरा

[फा. सं. NHAI/RO/RNC/JH/LA]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th September, 2022

S. O. 4182(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 97.515 to Km. 147.540 of the NH75 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JHARKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 75 (Section -2) Design Chainage Km. 97+515 to 147+540
in the State of Jharkhand

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Competent Authority for Land Acquisition Latehar ()	97.515KM To 130.6KM	JHARKHAND	LATEHAR	Manika	1	Jamuna
					2	Sinjo	
						3	Manika
						4	Ejamar
						5	Namudag
						6	Dundu
						7	Auratar
						8	Lali
						9	Nadbelwa
					Latehar	1	Hotwag
						2	Durangi Khurd
						3	Durangi Kalan
						4	Pandepur
						5	Ichak
						6	Patki
						7	Matnag
						8	Kadhima
						9	Nawadih
						10	Kura
						11	Udaipura

[F. No. NHAI/RO/RNC/JH/LA]

RAJESH GUPTA, Director